fssai **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण**

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक खाद्य के आश्वासक

प्रेस विज्ञप्ति

खाद्य तेल के बाद उद्योग गेहूँ के आटे के पौष्टिकीकरण के लिए तैयार

दिल्ली, 5 अप्रैल, 2017: गेहूँ के आटे के मुख्य ब्रांड और मिलर गेहूँ के आटे को लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 से पौष्टित करना आरंभ कर देंगे।

आई.टी.सी, जनरल मिल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि और कारगिल जैसी बाजार में अग्रणी कंपनियाँ गेहूँ के आटे के अपने प्रमुख ब्रांडों क्रमश: आशीर्वाद, पिल्सबरी, अन्नपूर्णा, पतंजलि और नैच्यर फ्रेश को पौष्टित करने पर सहमत हो गई हैं। उन्होंने पौष्टिकीकरण की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी है और उनका गेहूँ का पौष्टित आटा अलग-अलग क्षेत्रों में जुलाई/अगस्त तक और संपूर्ण भारत में दिसंबर 2017 तक मिलना शुरू हो जाएगा।

यह निर्णय एफ.एसए.एस.ए.आई द्वारा मध्यम और लघु उद्योगों तथा गेहूँ के आटे के पौष्टिकीकरण में पिछले कुछ वर्षों से कार्यरत GAIN जैसे डेवलपमेंट पार्टनरों सहित संबंधित कारोबारियों के साथ पिछले 2 महीनों से की जा रही बैठकों के बाद संभव हुआ है।

जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में अनेक फ्लोर मिलर पहले ही पौष्टित आटा बेच रहे हैं। इन राज्यों के अनेक भागों में पौष्टित आटा आसानी से उपलब्ध है। बाजार के अग्रणी मिलरों के निर्णय से अन्य फ्लोर मिलर भी आटे के पौष्टिकीकरण के लिए तैयार हो जाएँगे और उत्साहित होंगे। श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एसए.एस.ए.आई के साथ बैठक में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (आर.एफ.एम.एफ.आई), व्हीट प्रोडक्ट्स प्रोमोशन सोसायटी (डब्ल्यू.पी.पी.एस) और सोसायटी ऑफ इंडियन बेकर्स जैसे खाद्य उद्योग संगठनों ने गेहूँ के आटे और बिस्कुटों, ब्रेडों, रस्कों और केकों आदि अन्य उत्पादों को जल्दी से जल्दी पौष्टित करना आरंभ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

श्री रत्न गुप्ता, डब्ल्यू.पी.पी.एस के अध्यक्ष और आर.एफ.एम.एफ.आई के पूर्व अध्यक्ष, श्री जे. एन. कुशवाहा, एस.आई.बी के अध्यक्ष ने कहा कि उनके संघ अपने सदस्यों को गेहूँ के आटे और इससे बने अन्य उत्पादों के पौष्टिकीकरण को उद्योग की एक रीति के रूप में अपनाने के लिए कहेंगे। श्री राजकपूर, प्रबंध निदेशक, ए.आई.बी.टी.एम ने व्हीट फ्लोर मिलिंग और बेकरी उद्योग को अपने उत्पादों का पौष्टिकीकरण आरंभ करने के लिए हर प्रकार का तकनीकी सहयोग देने को कहा।

गेहूँ के आटे सहित मूल आहारों का पौष्टिकीकरण जोर पकड़ रहा है। पौष्टिकीकरण पर वैज्ञानिक पैनल, मेडिकल एक्स्पर्ट और एकेडिमिया पौष्टिकीकरण का प्रबल समर्थन करते हैं। गेहूँ के आटे का लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 से पौष्टिकीकरण अनीमिया और सूक्ष्म पौषण संबंधी अन्य अल्पताओं से लड़ने का अत्यधिक व्यावहारिक और लागत-प्रभावी तरीका

है, जिनकी कमी जनता के सभी वर्गों, भौगोलिक क्षेत्रों में सभी सामाजार्थिक श्रेणियों के साथ भारत की 50% से अधिक जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। भारत में गेहूँ के आटे की खपत पर्याप्त मात्रा में होती है, जो औसतन प्रति व्यक्ति प्रति दिन 200-250 ग्राम है और वर्ष में देश भर में 63.3 MMT के बराबर है।

भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एफ.एस.एस.ए.आई के मानकों के अनुसार गेहूँ के पौष्टित आटे की आपूर्ति करने की सिफारिश की है। बंगाल में पी.डी.एस के माध्यम से गेहूँ के पौष्टित आटे की आपूर्ति वर्ष 2000 से की जा रही है। इसी प्रकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सरकार भी पी.डी.एस के माध्यम से गेहूँ के पौष्टित आटे की आपूर्ति कर रही है। राजस्थान सरकार आगामी जुलाई से पी.डी.एस के माध्यम से गेहूँ के पौष्टित आटे की आपूर्ति करने की पहल कर रही है।

सूक्ष्म पौषक तत्वों के कुपोषण के अत्यधिक कुप्रभाव को कम करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने गेहूँ के आटे को लौह, फोलिक ऐसिड और विटामिन बी-12 से पौष्टित करने के मानक बनाए हैं। गेहूँ के आटे के पौष्टिकीकरण के संबंध में तकनीकी मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कर ली गई है और उनका समाधान कर लिया गया है। ब्रेड, बिस्कुट, रस्क और केक सहित पैकेजबंद पौष्टित आहारों के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। खाद्य पौष्टिकीकरण की बैठक में भाग लेने वाले हितधारक बेहतर पोषण के प्रतीक पौष्टित खाद्यों के राष्ट्रीय चिह्न को बढ़ावा देने सहित 'उपभोक्ता जागरूकता' को बढ़ावा देने पर संयुक्त रूप से सहमत हो गए हैं। भारत के रिटेलर्स एसोसिएशन के साथ भी बैठकें की गई हैं और उन्होंने पौष्टित खाद्यों के चिह्न को बढ़ावा देने और पौष्टित खाद्यों के प्रदर्शन के लिए अपनी बिक्री के प्रमुख दृश्यमान स्थान पर अलग शेल्फ रखने का वचन दिया है।

श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने कहा–''*पौष्टिकीकरण के मानक और एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा हाल ही में जारी किया गया पौष्टिकीकरण का 'लोगो' खाद्य कारोबारों को पौष्टिकीकरण को वृहद् स्तर पर आरंभ करने में सहायक हुए हैं। इसे हम खाद्य कारोबारों में अपने खाद्य उत्पादों की संपूर्ण श्रेणियों का पौष्टिकीकरण स्वैच्छिक आधार पर करने के आकर्षण के रूप में पाते हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य कारोबरों के पौष्टिकीकरण के प्रयासों को आसान बनाने और उनकी सहायता करने के लिए खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी) स्थापित किया है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि पौष्टित मूल आहार बाजारों में शीघ्र उपलब्ध होगा और अधिकांश राज्य सरकारी कार्यक्रमों में पौष्टित आहारों का उपयोग करना आरंभ कर देंगे।*''

और अधिक विवरण के लिए कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें:

रुचिका शर्मा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
मोबाइल : + 91-9999431104
ई-मेल : sharmaruchika.21@gmail.com